बिहार सरकार
अनु0 जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग
बिहार महादलित विकास मिशन
द्वितीय तल, सचिवालय, विमानीकरण भवन ब्लॉक-3, पटना
ईमेल-mail@bmvm.org, वेबसाइट - www.mahadalitmission.org

157
4433

पत्रांक- बि०म०वि०मि० 575-01/16-2473

प्रेषक,

मिशन निदेशक
बिहार महादलित विकास मिशन,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला परियोजना पदाधिकारी–सह–
जिला कल्याण पदाधिकारी।

पटना, दिनांक : 19 / 12 / 2019

विषयः–नियोजित विकास मित्र की आकस्मिक मृत्यु के उपरांत विहित प्रपत्र मे अनुदान की राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियोजित विकास मित्र के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत अनुदान की राशि उपलब्ध कराने हेतु विहित प्रपत्र में अनुरोध प्रेषण हेतु कई पत्र निर्गत किये गए हैं। परन्तु उसके बावजूद ऐसा पाया गया है कि कतिपय जिलों द्वारा आकस्मिक मृत्यु उपरांत अनुदान की राशि हेतु अनुरोध विहित प्रपत्र में न भेज कर सिर्फ आश्रितों का आवेदन बिना अनुलग्नकों के सत्यापन किए अग्रसारित कर दिया जाता है, जिससे अनुदान की राशि भुगतान में अनावश्यक विलम्ब होता है।

अतः अनुरोध है कि विकास मित्र के आकस्मिक मृत्यु उपरांत अनुदान की राशि शीघ्र भुगतान हेतु पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में अनुरोध अग्रसारित करने की कृपा करें अन्यथा इसमें किसी तरह के विलम्ब की संपूर्ण जवाबदेही संबंधित जिले की होगी।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

ह० 19.12.19
मिशन निदेशक
बिहार महादलित विकास मिशन

(56)

विकास मित्र के मृत्यु उपरांत अनुदान हेतु अनुरोध अग्रसारण प्रपत्र (प्र32)

क्र0	विवरणी	
1	**विकास मित्र का नाम**	
2	पता	
3	**मृत्यु की तिथि**	
4	मृत्यु के समय अंतिम मानदेय भुगतान की स्थिति **(राशि एवं माह सहित)**	
5	विकास मित्र के नियोजन हेतु अनु0 पदा0 द्वारा निर्गत नियोजनपत्र की **अभिप्रमाणित छाया प्रति**	
6	मृत्यु प्रमाण पत्र का क्रमांक /दिनांक **(अभिप्रमाणित छाया प्रति सहित)**	
7	अंचलाधिकारी से निर्गत पारिवारिक सूची प्रमाण–पत्र का क्रमांक /दिनांक **(अभिप्रमाणित छाया प्रति सहित)**	
8	गैर प्रा0 मृत्यु की स्थिति में दर्ज प्राथमिकी संख्या/दिनांक (प्राथमिकी एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की छाया प्रति सहित)	
9	जिला परियोजना पदा0–सह–जिला क0 पदा0 की **भुगतान की स्पष्ट अनुशंसा**।	
10	आश्रित का बैंक खाता विवरणी (पासबुक के छाया प्रति सहित)	
11	आश्रित का पहचान–पत्र (अभिप्रमाणित छाया प्रति)	
10	अभियुक्ति	

जिला परियोजना पदाधिकारी
–सह –
जिला कल्याण पदाधिकारी।